'परिशिष्ट-3"

विकास प्राधिकरण / स्थानीय निकाय / ग्राम प्रधान द्वारा प्रदत्त अनापिता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित	किया	जाता	है वि	5 <i>- প্</i> মী/+	गैमती / सुश्री.			
पुत्र/पत्नी	/ पुत्री			निवासी				()
जिसके द्व	ारा अति	थे-उत्तरा	खण्ड गृह	आवास १	होम स्टेश कि			(पता)
जिसके द्वारा अतिथि—उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली—2016 के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु आवदेन किया गया है, के पंजीकरण में इस विकास प्राधिकारण / स्थानीय निकाय / ग्राम पंचायत								
को कोई	आपत्ति न	तही है।		4.1	INANTE MINE	गरण / स्थानीय	निकाय / ग्रा	म् पंचायत
						The delair	AND	
दिनांक	······································					हा मनीवा त	[[图 作	i kanana
स्थान	••••••	. <u>.</u>			(E	्रि पिं	**	
						Stage -	(83)	
	. ^				न	म व हस्ताम		

सचिव/अधिशासी अधिकारी/ग्राम प्रधान विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत (सील)

नोट-प्रदेश के ऐसे क्षेत्र जो कि विकास प्राधिकरण व स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत दोनों के ही अन्तर्गत आते हों, की दशा में विकास प्राधिकरण द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।